

24/10/17

पत्रावली पेश। बहस आधी परा पहिली पेशी मे हुने
गई। अआधी बहस हेतु आवतार रिया जमा था
परंतु बहस नही की गई। चूंकि अआधी सं.

1, 2, 3 का जवाब दिनांक 18/11/17 को बंद किया
जा चुका है। व मूलवाद मे अआधी सं. प. 5 के

विरुद्ध एउपक्षीय अभिवाही हो चुकी है व अआधी
सं 6 का जवाब भी बंद हो चुका है अतः

बहस हेतु अआधी को आवतार देने के बाद भी
बहस नही की गई। अतः एउपक्षीय बहस हुनी गई।

बहस हुने के पश्चात पत्रावली पर गुणावगुणपर
अवलोकन करने के पश्चात उक्त प्रथमा पत्र

अवलोकन करने के पश्चात उक्त प्रथमा पत्र

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अंतर्गत द्वारा 212 राज-राशतकारी इधिनियम
खारिज ठिया जाता हऽ निर्णय पृथक से लिखा जाऊर
शामिल पत्रावली हो।

पार्षनापत्र शुमार फॉल लोकर
गवर्नेर के कम लोकर जारी मूलवाद हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
जोधपुर